

यूजेवीएन लिमिटेड

“उज्ज्वल”, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड,
देहरादून – 248006

सार्वजनिक सूचना

यूजेवीएन लिमिटेड की 10 वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत दरों के निर्धारण, वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक व्यय के राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप) एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (Annual Performance Review)

और

नवनिर्मित ब्यासी वृहद् जल विद्युत परियोजना के पूंजीगत लागत (Capital Cost) की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक तय लागत (Annual Fixed Charges) के निर्धारण हेतु यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (माननीय आयोग) के समक्ष दायर याचिकाओं पर सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

1. 10 वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ याचिकाओं/वार्षिक तय लागत के मुख्य बिन्दु :-

- i. यूजेवीएन लिमिटेड (उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) द्वारा अपनी 10 वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विद्युत दरों के निर्धारण एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (Annual Performance Review) हेतु माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिकाएं दायर की गयी हैं। उक्त याचिकाओं के माध्यम से यूजेवीएन लिमिटेड ने अपने 9 पुराने जल विद्युत गृहों एवं मनेरी भाली- I। जल विद्युत गृह हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक व्यय के राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप) के लिये भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। यूजेवीएन लि0 द्वारा अपनी 10 वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं के लिये विद्युत उत्पादन दरों के निर्धारण हेतु दायर याचिकाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैं:-

विद्युत गृह का नाम	वार्षिक तय लागत (Annual Fixed Charges) (₹ करोड़ में)					
	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25	
	राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप)	यूजेवीएन लि0 द्वारा अधियाचित	(वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा)	यूजेवीएन लि0 द्वारा पुनरीक्षित अनुमान	(वार्षिक तय लागत) (AFC)	यूजेवीएन लि0 द्वारा प्रस्तावित
ढकरानी	30.53	31.91	28.14	34.17	31.27	35.81
ढालीपुर	33.69	35.89	41.51	53.72	47.41	65.65
छिबरो	96.60	91.40	97.79	107.18	106.62	116.14
खोदरी	53.97	52.90	56.00	62.45	59.03	70.35
कुलहाल	27.25	27.96	27.73	32.56	31.44	41.86
रामगंगा	55.09	52.82	57.42	62.26	60.32	72.02
चीला	76.94	83.53	83.61	97.48	109.02	110.79
मनेरी भाली- I	75.84	78.68	81.80	101.93	90.94	110.01
खटीमा	45.16	44.27	45.40	48.65	45.67	50.22
मनेरी भाली- II	214.29	226.51	212.03	236.35	212.72	240.26
योग:	709.36	725.87	731.44	836.76	794.42	913.11

- ii. यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्त राजस्व व स्वीकृत वार्षिक तय लागत में (एच0पी0एस0ई0बी0 के अन्तर के प्रभाव को छोड़ते हुये) कुल ₹0 19.87 करोड़ की अंतर की गणना की गयी है।

- iii. यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए (वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत वार्षिक तय लागत के सापेक्ष) 24.84% की वृद्धि प्रस्तावित की गयी है। यूजेवीएन लिमिटेड का प्रस्ताव माननीय आयोग द्वारा पूर्णतः स्वीकार करने की स्थिति में, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित वृद्धि के अतिरिक्त उपभोक्ता दरों में 1.02% की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।

2. व्यासी वृहद जल विद्युत परियोजना के वार्षिक तय लागत (AFC) के मुख्य बिन्दु—

उपरोक्त 10 वृहद जल विद्युत परियोजनाओं की टैरिफ याचिकाओं के अतिरिक्त यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा व्यासी वृहद जल विद्युत परियोजना की पूँजीगत लागत (Capital Cost) ₹0 1922.52 करोड़ (ऊर्जाकरण तिथि 24.05.2022 को) की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2022–23, वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक तय लागत (Annual Fixed Charges) के निर्धारण हेतु भी उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की गयी है। इस क्रम में यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त पूँजीकरण (Additional Capitalization) व वार्षिक तय लागत (Annual Fixed Charges) के प्रस्ताव निम्नवत् है:—

(₹0 करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25
अतिरिक्त पूँजीकरण (ऊर्जाकरण के प चात्)	49.75	38.79	37.79
वार्षिक तय लागत (AFC)	346.18	414.31	418.37

3. यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित विस्तृत प्रस्ताव किसी भी कार्य दिवस में माननीय आयोग के कार्यालय अथवा यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून के कार्यालय में नि: शुल्क अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। इससे सम्बन्धित सारांश T यूजेवीएन लिमिटेड के उपरोक्त कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।
4. यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव माननीय आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in एवं यूजेवीएन लिमिटेड की वेबसाइट www.ujvnl.com पर भी उपलब्ध हैं।
5. उपभोक्ताओं एवं अन्य हितधारकों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के संबन्ध में आपत्ति/सुझाव, आमंत्रित किये जाते हैं। आपत्ति या सुझाव प्रमाणिक दस्तावेजों एवं साक्ष्यों सहित “सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई0 एस0 बी0 टी0, पो0 आ0 – माजरा, देहरादून-248171” के पते पर स्वयं अथवा डाक द्वारा या ई-मेल: secy.uerc@gov.in द्वारा विलम्बत: दि0 31.01.2024 तक प्रेषित किये जा सकते हैं।